"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 229] रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 जून 2017 — ज्येष्ठ 17, शक 1939

गृह विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 जून 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-06/दो-गृह/न. से./2016. — आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (2005 का सं. 53) की धारा 38 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009 के पैरा 3. 4. 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ के समादेश और नियंत्रण के अधीन आपदा मोचन बल (SDRF) के गठन हेतु अनुमति प्रदान करती है.

No. F. 13-06/2-grih/N. S./2016. — In exercise of the powers conferred by Section 38 of the Disaster Management Act, 2005 (No. 53 of 2005) and para 3. 4. 5 of the National Policy on Disaster Management, 2009, the State Government, hereby, grants permission for organizing the State Disaster Response Force (SDRF) under the command and control of Director General, Home Guard and Civil Defence Chhattisgarh of prevent the disaster in the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार ध्रुर्वे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.